

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

✓/ श्रीमती/ मि.

निर्दि. निः

L.I.G. - 2172 भरतपुर योजना गोप्ता

पत्रांक 137

नि० प्र० 2017/57

दिनांक 3-7-2017

भवन/ संख्या L- 2172 योजना भरतपुर योजना नगर गोप्ता

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 29-6-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 90/806 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 3-7-2017 से 2-7-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, इत्यादि हेतु 36.53 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 62.89 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

3-7-2017

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 237

/ उपरोक्त

/ १८८ तददिनांक 3-7-2017

प्रतिलिपि:-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद भरतपुर गोप्ता को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय 80 भरतपुर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोप्ता को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3-7-2017

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

१८८



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी केन्द्रीय बाला क्षेत्रीय
P-18 भरतपुरी योजना
गोप्ता

पत्रांक 240

नि० प्रा० २०१७/५९

दिनांक 6-7-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्स संख्या P-18 योजना भरतपुरी नगर गोप्ता

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ०५.०७.२०१७ के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या ९३/८१४

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 6-7-2017 से 5-7-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूक्ति, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु ६।।।१७ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये २।।।०९।।।०९ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - २ उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

6/7/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

मान्य

तददिनांक 6-7-2017

पू० सं० 240

/उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड - २ उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय भरतपुरी योजना उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद गोप्ता को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6/7/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

मान्य

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद



वास्तुकला एवं नियोजन इकाई ३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उप्रो आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्रीमती/ श्रीमति/ माधुरी पाण्डेय
म० न०-१२३७ आवास विकास कालानी
गोण्डा नि० प्रा० २०१७/५३ दिनांक ३-७-२०१७

पत्रांक २३६

भूखण्ड संख्या P-1110 योजना भृतपुरी योजना नगर गोण्डा
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २८-६-२०१७ के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या ८६/७९०
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक ३-७-२०१७ से २-७-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों
सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, तथा ममटी हेतु १४९.६५ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये
२५३.०० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- २
उप्रो आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

३-७-१७

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० २३६

/ उपरोक्त

/ ९/८ तददिनांक ३-७-२०१७

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- २ उप्रो आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय ३०.७.२०१७ उप्रो आवास एवं विकास परिषद, गोण्डा
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

३-७-१७

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

९/८



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...टूटीम

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी रेणु अग्रवाल
P- 2059 भरतपुरा योजना
गोप्ता

पत्रांक 196

नि० प्रा० २०१७/५०

दिनांक २-६-२०१७

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या P- 2059 योजना भरतपुरा नगर गोप्ता निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ३०.०५.२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या १५/७४६ के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्रविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २-६-२०१७ से ६-६-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु ३०.०२ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ६.३.१७ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- २ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

०१ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
प्रतिलिपि :-

पृ० स० १९६

/उपरोक्त

प्रति

तददिनांक २-६-२०१७

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- २ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय भरतपुरा योजना उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

०१ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
प्रति



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई ३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्द्रा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / श्रीमती /
 श्री विजय चौधरी / श्री उन्नजित पाण्ड्य
 वाम-विधानसभा (कफरतका) पौ. मातीगंज
 गोप्ता (पूर्ण) नि० प्रा० २०१७/६४

पत्रांक 269

दिनांक 28-7-2017

भूमि / भूखण्ड संख्या / P-1672 योजना नियमित प्राप्ति नगर गोप्ता

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 25-7-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य / जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 28-7-2017 से 27-7-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, द्वितीय तथा ममटी हेतु 61.32 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 82.50 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- 3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड— 2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- 4 यदि इस भवन / भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

प० सं० 269

/ उपरोक्त

दिनांक 28-7-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद ११०५ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय ११०५ गोप्ता उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद ११०५ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

28-7-2017



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...टूलीभी

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी रेणु अग्रवाल
P- 2059 भरतपुरी योजना
गोप्ता

पत्रांक 196

नि० प्रा० २०१७/५०

दिनांक ७-६-२०१७

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या P-2059 योजना भरतपुरी नगर गोप्ता
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक ३०.०५.२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ७५/७४६ के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक ७-६-२०१७ से ६-६-२०१२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भौतिक, प्रथम तत्त्व, द्वितीय तत्त्व तथा ममटी हेतु ३८.०२ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ६.३.१७ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- ३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- २ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
- ४ यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पू० सं० १९६

/उपरोक्त

तददिनांक ७-६-२०१७

प्रतिलिपि :-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- २ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय भरतपुरी योजना उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, गोप्ता को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी जनिल कुमार सेठ श्रीमती नीति सेठ
P-35/ आवास विकास फालोनी
गोठा

पत्रांक 126

नि० प्रा०

दिनांक 21-8-2017

भवन/ भूखण्ड संख्या/ खस्स संख्या P-35/ योजना भरतपुरी नगर गोठा

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 20-04-2017 के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या 53/643 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। 20-4-2017

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 20-4-2017 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 173.63 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 292.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 126

/ उपरोक्त

तददिनांक 21-4-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय भरतपुरी उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, गोठा को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ मान्य स्वीकृत क्रमांक दिवंगी
 P-1918 भूरतपुरी आवास विकास बोर्ड
 गोप्ता निः प्रा० 2017/44 दिनांक 15-5-2017

पत्रांक 173

भूमि/ भूखण्ड संख्या/ P-1918 योजना भूरतपुरी आवास नगर गोप्ता
 निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 11-05-2017 के क्रम में निः प्रा० रजिस्टर संख्या 69/706
 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
 के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत
 पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 15-5-2017 से 14-5-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तथा मर्मटी हेतु 120.18 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 183.60 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 173

/ उपरोक्त

/ *[Signature]* तददिनांक 15-5-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय 80 गोप्ता उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, गोप्ता को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

[Signature]
9/C



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("'उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ मैं धर्मेन्द्र कुमार पाठि

L-1690 आवास विकास कालोनी भरतपुरा यज्ञा

पत्रांक 262

गोप्ता-

नि० प्रा० 2017/61

दिनांक 25-7-2017

भवन/ संख्या L-1690 योजना भरतपुरा यज्ञा नगर गोप्ता संख्या

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 19-7-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 25-7-2017 से 24-7-2023 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, सूचनार्थी ममटी हेतु 49.73 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 64.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
प्रतिलिपि

पृ० सं० 262

/ उपरोक्त

तददिनांक 25-7-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय 80 भरतपुरा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, गोप्ता को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
प्रतिलिपि



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई... द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी द्वानश्वामी स्वीकृत
E.W.S. #10 भरतपुरी योजना
गोप्ता

पत्रांक 234

नि० प्रा० २०१७/५४

दिनांक २९-६-२०१७

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्ता संख्या..... #10 योजना भरतपुरी नगर गोप्ता नि० प्रा० #7/799

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २७-०६-२०१२ के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या ८७/७९९ के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २९-६-२०१७ से २८-६-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल-तथा भवनी हेतु ३८.८० वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ४१.८९ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- २ उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
[Signature]
प्रतिलिपि :-

पृ० सं० २३४

/उपरोक्त

तददिनांक २९-६-२०१७

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- २ उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय भरतपुरी योजना उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद गोप्ता को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
[Signature]



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी जगजीवन पाठेप
लिमान गिल स्टोर, देवान गोड
गोडा

पत्रांक 217

नि० प्रा० 2016/64

दिनांक 13-6-2016

भवन/ भूखण्ड संख्या/ खसरा संख्या P-2070 योजना अरत चूर्ण नगर गोडा
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 21-06-2016 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 75/2480
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 13-6-2016 से 12-6-2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों
सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 77.12 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 175.56 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड— 2
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
कमिटी

प० सं 217

/ उपरोक्त

तददिनांक 13-6-2016

प्रतिलिपि :—

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड— 2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय अरत चूर्ण मोजना उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोडा
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

[Signature]
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
कमिटी



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/स्त्री/दूषि
विनाद कमार मिह
बल्लीपुर, गोपालगढ़ गाड़ी

पत्रांक 130

निरो प्रा० २०१७/३७

दिनांक 24-4-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खाता संख्या P 364 योजना भूतलपुर नगर गोपा

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 18-4-2017 के क्रम में निरो प्रो रजिस्टर संख्या ५६/६५० के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 24-4-2017 से 23-4-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 540.15 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 498.75 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 130

/ उपरोक्त

तददिनांक 24-4-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय भूतलपुर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गोपा को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी महेशा लिंग
बूलीपुर नवाबगंज
गो०डा

पत्रांक 135

नि० प्रा० 2017/37

दिनांक 25-4-2017

भवन/ भूखण्ड संख्या / खस्सा संख्या P- 365 योजना भरतपुरी नगर गो०डा

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 18.04.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 57/649 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमो, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/ जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 25-4-2017 से 24-4-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 540.15 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 490.50 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड— 2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/ भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
कॉर्ट

पृ० सं० 135

/ उपरोक्त

तददिनांक 25-4-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड— 2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लाइवन्स को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय भरतपुरी उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद गो०डा को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
कॉर्ट

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद



वास्तुकला एवं नियोजन इकाई 3

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(‘उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु’)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ स्त्री/ उमेरे

ओम पुष्कर जायमवाल

A-1254 मेचार बिल्डर I.T.I. मनकापुर

गोप्ता-

नि० प्रा० २१७/३५

पत्रांक 131

दिनांक 24-4-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्सा संख्या P-1848 योजना नगर गोप्ता

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 12-4-2017 के क्रम में नि० प्रा० २१७/३५ रजिस्टर संख्या 56/644

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 24-4-2017 से 23-4-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।

2. यह स्वीकृति भूतले, उमेरे उमेरे ममटी हेतु 63.66 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 74.38 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।

3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।

4 यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।

5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 131

/ उपरोक्त

दिनांक 24-4-2017

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-टूलीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी राम भारत शुक्ल
116 आवास विकास कालोनी
गोप्ता

पत्रांक 198

नि० प्रा० २०१७/४९

दिनांक २-६-२०१७

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्ता संख्या..... 116 योजना भरतपुरी नगर गोप्ता

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २९.०५.२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या.....

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २-६-२०१७ से ६-६-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।

2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु ३८.७० वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ५४.३४ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।

3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- २

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।

4 यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।

5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

recon

पृ० सं० 198

/ उपरोक्त

तददिनांक २-६-२०१७

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- २ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लेखन को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय भरतपुरी शोजना उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, गोप्ता को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

recon



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई ३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / श्री / श्री / श्री / श्री / श्री /
भाभ सरन मिठै डॉ कर्म प्रमाण मिठै
100 फैटी परण मिट्टी रोड गोप्ता

पत्रांक 58

नि० प्रा० 2017/15

दिनांक 16-2-2017

भूमि/भूखण्ड संख्या / संख्या P-1894 योजना भारतपुर योजना नगर गोप्ता

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 30-1-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 16/598

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानवित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानवित्र की अवधि (दिनांक 16-2-2017 से 15-2-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानवित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।

2. यह स्वीकृति भूतल, प्रभावी भूमि हेतु 61.38 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 226.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।

3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।

4 यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानवित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानवित्र निरस्त किया जाता है।

5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
प्रतिलिपि :-

पृ० सं० 58

/उपरोक्त

तददिनांक 16-2-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् लगानी को स्वीकृत मानवित्र (एक प्रति सहित) सच्चार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय 226.00 वर्गमीटर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् गोप्ता को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सच्चार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्द्रा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुभाला लिंग
E.W.C. #11 भरतपुरी योजना
गोप्ता

पत्रांक 233

नि० प्रा० २०१७/५४

दिनांक २९-६-२०१७

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्स संख्या #11 योजना भरतपुरी नगर गोप्ता

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २७.०६.२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या ४४/१००

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २९-६-२०१७ से २८-६-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु ३०.७० वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ४२.९३ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- 3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- २ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- 4 यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० २३३

/ उपरोक्त

तददिनांक २९-६-२०१७

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- २ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय भरतपुरी योजना उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, गोप्ता को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

29/6/17